प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स 467/22 दिनांक 07/12/2022.
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट -- धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 137 समय 5.00 PM
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 06.12.2022 समय 02:10 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.12.2022 समय करीब 03:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक -- लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी -- बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **435** किलोमीटर
   (2) पता -- जिला परिषद पार्किंग स्थल उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : -- श्री झामेश्वर प्रसाद
   (2) पिता का नाम : -- श्री मांगीलाल खराडी
   (3) आयु : -- 36 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : --भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : -- राशन डीलर
   (7) पता : -- **-- ग्राम उपला माण्डवा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

   1 श्री हिरालाल पुत्र श्री केवला जी मेघवाल उम्र 53 वर्ष निवासी राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे, जनरल स्टोर के सामने, शोभागपुरा चौराहा उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	2000 रूपये	

आरोपी श्री हिरालाल द्वारा परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद के राशन डीलर बहाली आदेश की प्रति देने की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में 2000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर दिनांक 05.12.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 1000 रूपयें तथा दिनांक 06.12.2022 वक्त ट्रेप कार्यवाही 1000 रूपयें कुल 2000 रूपयें अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट के आगे की दांयी जेब में रखना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 2000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 05.12.2022 को समय करीब 03:30 पीएम पर परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद खराडी पुत्र श्री मांगीलाल खराडी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम उपला माण्डवा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल युनिट पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि '' मैं ग्राम उपला माण्डवा तहसील ऋषभदेव में घोडी–बी राशन का डीलर हूँ। पोस मशीन में तकनीकी खराबी से गेहूँ की रिकवरी होने से मेरा राशन डीलर का लाईसेन्स जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा सस्पेण्ड कर दिया गया था। अब जिला रसद अधिकारी द्वारा मेरा लाइसेन्स नंबर 1571/2005 जिसका पोस मशीन नंबर 5399 को पुनः बहाली के आदेश दिये गये है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय में कार्यरत श्री हिरालाल जी बाबुजी मेरे लाईसेन्स बहाली के आदेश की कॉपी देने की एवज में मुझसे 2000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर रहे है, और कह रहे है कि 2000 रूपयें मुझे दोंगे तो ही मैं तुम्हे आदेश की कॉपी दुंगा। मैं उन्हें रिश्वत राशी नहीं देना चाहकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। श्री हिरालाल जी ने मुझे आज दिनांक को 05.12.2022 को रिश्वत राशी देने के लिए दो तीन बार कॉल किया है। मेरी उनसे उधार रूपयों की कोई बाकियात नहीं है और न ही कोई रंजिश है। अतः काननू कार्यवाही करावें।'' चूंकि तत्समय प्रभारी अधिकारी श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपार्जित अवकाश पर, पुलिस निरीक्षक श्री रतनसिंह राजपुरोहित राजकार्य से ब्यूरों मुख्यालय पर है तथा मन् पुलिस निरीक्षक आदर्श कुमार आकस्मिक अवकाश में होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में नियमानुसार पुलिस निरीक्षक आवश्यक होने से समय करीब 03:35 पीएम पर सहायक उप निरीक्षक द्वारा जरिये टेलीफोन मन् पुलिस निरीक्षक से वार्ता कर परिवादी द्वारा ब्यूरों पर उपस्थित होने तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से अवगत कराया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने सहायक उपनिरीक्षक को बताया कि मामला रिश्वत मांग एवं लेनदेन का होकर मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है, मैं 10 मिनिट में कार्यालय में उपस्थित हो रहा हूँ। आप डिजिटल वॉईस रिकार्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर तैयार रखें। जिस पर सहायक उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर तैयार किया गया। समय करीब 03:48 पीएम पर सहायक उप निरीक्षक श्री सुरेश कुमार को परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद ने बताया कि श्री हिरालाल जी का मेरे मोबाईल पर कॉल आ रहा है। जिस पर सहायक उप निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को तुरंत ऑन कर परिवादी के मोबाईल पर आ रहे कॉल को रिसीव करा लाउड स्पीकर मोड ऑन करवाया तथा वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तो परिवादी को संदिग्ध लोक सेवक ने कहा कि मैं कोर्ट चौराहें पर कोर्ट के गेट पर आपका ईन्तजार कर रहा हूँ। वॉईस रिकार्डर को एएसआई के पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 03:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुआ। जिस पर श्री सुरेश कुमार सहायक उपनिरीक्षक ने परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद का मन् पुलिस निरीक्षक से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की श्रेणी में होना पाया जाने से कानि0 श्री दिनेश कुमार को बुलाकर परिवादी से परिचय करा डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि परिवादी को समझाई जाकर टेप रिकार्डर सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास 500–500 रूपयें के दो नोट है यदि आरोपी मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशी की मांग करेगा तो मुझे यह राशी उसे देनी पडेगी। जिस पर परिवादी के पास उपलब्ध 500–500 रूपयें के दोनो नोटों के नंबर 0 EM 954345 तथा 8 VC 261236 को अंकित कर नोटो की फोटोकॉपी की जाकर परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। तत्पश्चात परिवादी के साथ श्री दिनेश कानि0 को तुरंत रवाना किया जाकर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने की हिदायत दी गई। समय करीब 04:20 पीएम पर परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद एवं श्री दिनेश कुमार कानि0 मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं और दिनेश जी कार्यालय से रवाना होकर कोर्ट चाराहे पर पहूँचे तथा दिनेश जी को कोर्ट चौराहे पर उतारकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु कर कोर्ट

के मुख्य गेट पर गया जहां श्री हिरालाल जी नहीं मिले तो मैंने उन्हें मोबाईल से कॉल किया जिस पर उन्होंने मुझे जिला परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर बुलाया मैंने दिनेश जी को मेरे पीछे आने का ईशारा किया तथा मैं जिला परिषद के गेट पर पहूँचा और दिनेश जी मुझसे कुछ दूरी पर खडे रहे तथा मैं श्री हिरालाल जी से मिला तो उन्होंने मुझसे 2000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग की। जिस पर मुझसे हिरालाल जी ने 500–500 के दो नोट कुल 1000 रूपयें मांग कर ले लिये तथा बाकि के 1000 रूपयें लेकर कल आने हेतु कहा। फिर मैनें कुछ आगे आकर वॉईस रिकार्डर बंद किया तथा दिनेश जी को साथ लेकर आपके पास आया हुँ। जिस पर दिनेश कुमार कानि0 द्वारा परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा सुपुर्द डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो संदिग्ध लोकसेवक द्वारा परिवादी से 1000 रूपयें ग्रहण करना तथा शेष 1000 रूपयें बाद में लेने हेतु सहमत होना सत्यापित पाया गया। जिस पर परिवादी को आरोपी लोकसेवक की रिश्वत मांग अनुरूप 1000 रूपयें की राशी लेकर दिनांक 06.12.2022 को उपस्थित होने तथा मामलें में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूकसत दी गई। समय करीब 04:30 पीएम पर श्री भरतसिंह कानि0 को तहरीर देकर कार्यालय आबकारी आयुक्त उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाह को दिनांक 06.12.2022 की प्रातः ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचित करनें की हिदायत दी गई। दिनांक 06.12.2022 को समय 11:00 एएम पर कार्यालय आबकारी आयुक्त उदयपुर से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मनीष शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री जगदीश नागदा कनिष्ठ सहायक उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय में बिठाया गया। समय करीब 12:30 पीएम पर परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद कार्यालय में उपस्थित हुआ। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2022 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–ब–शब्द स्वयं की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 12:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 05.12.2022 को परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी श्री हिरालाल के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल फोन को लॉउड स्पीकर मोड ऑन कर रिकार्ड किया तथा रूबरू हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर दोनो वार्ताओं को बारी–बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध लोकसेवक की होने की ताईद की। वार्ता को सुनकर स्वतंत्र गवाह द्वारा आरोपी के रिश्वत राशी मांग करने की पुष्टि की। जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क ''ए'' अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। समय करीब 01:00 पी.एम. पर स्वंतत्र गवाह श्री मनीष शर्मा एवं श्री जगदीश नागदा के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500 रूपये का 1 नोट एवं 100–100 रूपयें 05 नोट कुल 1000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 TG 776520
2.	100 रूपये का एक नोट नंबर	9 BA 173230
3.	100 रूपये का एक नोट नंबर	5 CH 056715
4.	100 रूपये का एक नोट नंबर	1 BB 585551
5.	100 रूपये का एक नोट नंबर	9 AV 422787
6.	100 रूपये का एक नोट नंबर	5 ED 065421

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नंबरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री सुरेश कुमार एएसआई से मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 1000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री सुरेश कुमार एएसआई से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष शर्मा से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री सुरेश कुमार एएसआई से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री सुरेश कुमार एएसआई की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री राजेश से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री हिरालाल को उनकी मांग अनुसार शेष 1000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि. से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपियों के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री झामेश्वर प्रसाद को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट की आगे की बांयी जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 01:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष शर्मा, श्री जगदीश नागदा, एलसी श्री नन्दकिशोर मय प्रिन्टर लेपटॉप, श्री प्रदीप कुमार मय ट्रेप बॉक्स, अन्य आवश्यक संसाधन के निजी वाहन तथा परिवादी के निजी वाहन में परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद मय डिजिटल वॉइस रिकार्ड एवं श्री दिनेश कुमार कानि0 तथा श्री भारतसिंह निजी मोटरसाईकिल के कार्यालय जिला रसद अधिकारी के लिए रवाना हुए। समय करीब 01:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी, स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरों टीम मय आवश्यक संसाधन प्रिन्टर लेपटोप के दोनो निजी वाहनों से कार्यालय जिला परिषद उदयपुर के बाहर पहूँचे। जहॉ परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु करा आरोपी को रिश्वत राशी देने हेतु रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह मय हमराहीन परिवादी से थोडी दूरी बनाकर अपनी-अपनी मौजूदगी को छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारें में खडे रहे। परिवादी जिला रसद कार्यालय में जाकर कुछ समय बाद पूर्व निर्धारित ईशारा किये बिना पुनः बाहर आकर खडा रहा तभी एक व्यक्ति

उसके पास आया जो परिवादी को जिला परिषद की पार्किंग के अन्दर की तरफ लेकर गया कुछ देर बाद दोनो पार्किंग से बाहर निकले तथा समय करीब 2:10 पीएम पर परिवादी ने अपने सिर पर हाथ फेरकर गोपनीय तरीके से पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह एवं हमराहीन के तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहूँचे तो परिवादी ने वॉईस रिकार्डर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि ये श्री हिरालाल मेघवाल बाबुजी है जिन्होंने अभी-अभी मुझसे मेरे निलम्बित लाईसेंस के बहाली आदेश की कॉपी देने की एवज में 1000 रूपयें रिश्वत राशी अपने हाथों से ग्रहण कर इनके पहनी पेन्ट की आगे की दांयी जेब में रखे है। परिवादी ने बताया कि मैं पहले इनके ऑफिस में गया तो श्री हिरालाल जी इनकी सीट पर नही थे। जिन्हें मैनें अपने मोबाईल से कॉल किया तो इनके द्वारा मुझे जिला परिषद की पार्किंग की तरफ आने हेतु कहा तो जिला परिषद की पार्किंग की तरफ आया जहा कुछ देर में श्री हिरालाल जी आये और मुझसे 1000 रूपयें ग्रहण कर इनकी पेन्ट की आगे की दायी जेब में रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री हिरालाल पुत्र श्री केवला जी मेघवाल उम्र 53 वर्ष निवासी राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे, जनरल स्टोर के सामने, शोभागपुरा चौराहा उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर होना बताया। आरोपी श्री हिरालाल से पुछा अभी-अभी परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद से किस बात की रिश्वत राशी ग्रहण की गई है तो आरोपी हाथ जोडकर माफी मांगने लगा और कहने लगा एक बार छोड दो साहब आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर आरोपी को ग्रहण की गई रिश्वत राशी कहां रखी है पुछा तो अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की दांयी जेब में रखी होना बताया। तत्पश्चात आरोपी के बायें हाथ को बांह से श्री भरतसिंह एवं दायें हाथ को बांह से श्री नन्दकिशोर एलसी से पकडवाया जाकर आरोपी को जिला रसद अधिकारी उदयपुर कार्यालय में स्थित आरोपी के कक्ष में लाये। जहां कक्ष के द्वार पर पहूँचकर अन्दर बैठे कर्मचारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर दोनों कर्मचारी से बारी-बारी से उनका परिचय पुछा तो एक कर्मचारी ने अपना नाम श्री यशवंत सेवक पुत्र श्री पुष्करलाल सेवक उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (ठेकाकर्मी) कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर तथा अन्य ने अपना नाम श्री कमल छाबडा पुत्र श्री छगनलाल छाबडा उम्र 31 वर्ष निवासी प्रेम नगर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर होना बताया। तभी श्री यशवंत सेवक अचानक उग्र होकर सामनें आया तथा उत्तेजित होकर कहनें लगा आप लोग कौन हो और अन्दर कैसे प्रवेश किया तथा ब्यूरों टीम के सामने होकर गुत्थमगुत्था हो गया जिसे ब्यूरों टीम द्वारा उसे निरोध हेतु आवश्यक बल लगाकर एक तरफ बैठाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने तसल्ली देकर स्वयं एवं हमराहीन का परिचय देकर ब्यूरों द्वारा की गई कार्यवाही के बारें में बताया जाने पर श्री यशवंत सेवक शांत हुआ। जिसे पानी पिलाकर एक तरफ सामनें की तरफ बिठाया। समय करीब 2:20 पीएम पर फर्द हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशी बरामदगी की फर्द प्रारभ कर आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में वास्तविकता जानने हेतु श्री भरतसिंह से निजी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष शर्मा से दो साफ कांच की गिलासों में आरोपी श्री हिरालाल टेबल पर रखें पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को कांच के गिलासों में अलग-अलग भरवाकर स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष शर्मा से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच. -2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की

शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.–1 व एल. एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री हिरालाल से रिश्वत राशी कहां रखी है के बारें में पुनः पुछा तो बताया कि मेरी पहनी पेन्ट की आगे की दांयी जेब में रखी है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नागदा से आरोपी के पेन्ट की आगे की दायी जेब की तलाशी लिवाई तो उसमें सें कुछ रूपयें मिले जिन्हें गवाह श्री जगदीश नागदा से गिनवाये तो 500 रूपयें की एक नोट एवं 100–100 रूपयें के पॉच नोट कुल 1000 रूपयें बरामद हुए। उक्त राशी को पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से मिलान करवाया तो गवाह श्री जगदीश नागदा ने हुबहु निम्नानुसार मिलान होना बताया –

क्रम संख्या	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 TG 776520
2	100 रूपये का एक नोट नंबर	9 BA 173230
3	100 रूपये का एक नोट नंबर	5 CH 056715
4	100 रूपये का एक नोट नंबर	1 BB 585551
5	100 रूपये का एक नोट नंबर	9 AV 422787
6	100 रूपये का एक नोट नंबर	5 ED 065421

जिस पर उक्त नोटों को वजह सबूत सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के पेन्ट की अन्य जेबों की तलाशी लिवाई गई तो जेब में रखें पर्स में 500–500 रूपयें के कुछ नोट बरामद हुए जिन्हें गवाह श्री जगदीश नागदा से गिनवाया गया तो 500–500 रूपयें के 23 नोट होना पाये गये। उक्त नोटों का मिलान पूर्व में मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर की फोटोकॉपी से करवाया गया तो 500–500 रूपयें के 02 नोटो के नंबर 0 EM 954345 तथा 8 VC 261236 से हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त दो नोटों को वजह सबुत जब्त किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी द्वारा रिश्वत राशी स्वयं की पेन्ट की जेब में रखनें से संबंधित जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से बाजार से एक पाजामा क्रय कर मंगवाया गया तथा आरोपी की पेन्ट को ससम्मान एक तरफ कोने में उतरवाई जाकर क्रय किया गया नया पाजामा पहनाया गया है। तत्पश्चात उक्त पेन्ट के आगे की दांयी जेब प्रक्रियानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री प्रदीप कुमार कानि0 से एक कांच के गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया जाकर उसमें आरोपी के टेबल पर पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को गिलास में भरवाया जाकर गवाह श्री मनीष शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त पानी के घोल में आरोपी के पेन्ट की आगे की दांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क पी–1 व पी –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के पेन्ट की आगे की दांयी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जें ब्यूरों लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल से परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद के राशन डीलर के निलम्बित लाइसेन्स की बहाली के आदेश संबंधी पुछा तो आरोपी ने अपने टेबल के आगे की आलमारी में रखी होना बताया जिस पर चाबी के बारें में पुछा तो आरोपी ने अपनी टेबल पर रखी होना बताया जिस पर चाबी से आलमारी खुलवाई जाकर परिवादी से संबंधित पत्रावली को निकलवाई जाकर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद से संबंधित होकर प्रकरण संख्या 05/2020 दायर तिथि 04.02.2020 होना पाया गया। उक्त पत्रावली में फैसला ऑर्डरशीट दिनांक 30.11.2022 में परिवादी के राशन डीलर लाईसेंस की बहाली के आदेश संबंधी अंकन होकर इसी क्रम में कार्यालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर के आदेश क्रमांक 665 दिनांक 02.12.2022 संलग्न है। उक्त पत्रावली में पृष्ठ संख्या 01 से 56 होकर प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर स्वतंत्र गवाह, परिवादी, श्री कमल छाबडा, श्री यशवंत सेवक, आरोपी श्री हिरालाल के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों ली गई। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03:25 पीएम

पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहन, ब्यूरों टीम मय सीलबंद जब्तशुदा धोवन की शाशियां, सीलबंद रिश्वत राशी तथा आरोपी को अपने साथ निजी कार, तथा ब्यूरों टीम एवं परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद परिवादी की कार से एवं निजी मोटरसाईकिल से कार्यालय जिला रसद अधिकारी उदयपुर से कार्यालय भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर के लिए रवाना होकर समय 03:30 पीएम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू उदयपुर पर उपस्थित होकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। समय करीब 03:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहन, ब्यूरों टीम सदस्य श्री सुरेश कुमार एएसआई, श्री विनोद कुमार क.लि., श्री दिनेश कुमार एवं श्री प्रदीप कुमार एलसी मय लेपटॉप प्रिन्टर के भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर से आरोपी के शोभागपुरा चौराहा स्थित आवास पर खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ तथा सुखेर पुलिस थाना पर पुलिस जाब्ता उपलब्ध करानें हेतु सूचित किया। बाद खाना तलाशी फर्द मुर्तिब कर मय हमराहीन के समय करीब 05:20 पीएम पर पुनः कार्यालय पर उपस्थित हुआ। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं ब्यूरों टीम सदस्य श्री प्रदीप कुमार एलसी मय लेपटॉप प्रिन्टर के निजी वाहन से घटनास्थल की तस्दीक एवं फर्द मुर्तिबगी हेतु रवाना होकर जिला परिषद उदयपुर के पार्किंग स्थल पर पहूँचकर घटनास्थल की तस्दीक कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब की गई तथा समय करीब 05:30 पीएम पर कार्यालय पर उपस्थित हुआ। समय 06:30 पीएम दिनांक 06.12.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वॉइस रिकार्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर वार्ता को स्वतंत्र गवाह, परिवादी तथा आरोपी के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद एवं आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चलाकर स्वंतत्र गवाह को सुनाई गई तो उनके द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन की पुष्टि की गई। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कम्पयूटर से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री दिनेश कुमार से मेरे निर्देशन में रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता दिनांक 06.12.2022 की फर्द टांसक्रिप्ट तैयार करवाई तथा वार्ता की एक मूल सीडी तैयार करा संबधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। इसी प्रकार वार्ता की एक सीडी डब कॉपी कराकर तैयार करवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क ''बी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk 16 GB बरंग काला को वजह सबूत कपडे की थेली सीलबंद कर मार्क ''सी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से समय करीब 06:40 पीएम पर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर 6615882095 पर पुत्र श्री अशोक को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी से बरामद मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त किया जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कपडे की थेली में सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें। आरोपी को उसकी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने हेतु अंकित किया गया। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी का मेडीकल करानें पुलिस थाना हाथीपोल की हवालात में सुरक्षित रखवाने हेतु पृथक–पृथक तहरीर तैयार की जाकर आरोपी को श्री दिनेश कानि. एवं श्री प्रदीप कुमार कानि0 के सुपुर्द कर मेडीकल कराने के पश्चात हाथीपोल पुलिस थाने के हवालात में रखवाने हेतु हिदायत देकर रवाना किया गया तथा सीलबंद मालखाना आर्टिकल्स प्रभारी मालखाना श्री सुरेश कुमार एएसआई को सुपुर्द कर सुरक्षित रखनें एवं संबंधित रजिस्टर में ईन्द्राज करनें की हिदायत दी गई। तत्पश्चात आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल को हवालात सुरक्षित रखवाकर श्री दिनेश कानि. एवं श्री प्रदीप कुमार कानि0 पुनः ब्यूरों कार्यालय पर उपस्थित हुए। दिनांक 07.12.2022 को आरोपी को पुलिस थाना हाथीपोल से प्राप्त कर

मेडीकल करा माननीय न्यायालय में मय रिमाण्ड पत्र एवं पत्रावली के प्रस्तुत किया गया तो माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम संख्या 01 उदयपुर द्वारा 15 योम जेसी आदेश प्रदान करने पर आरोपी का नियमानुसार केन्द्रिय कारागार उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त की गई ।

दर्ज रहे कि दिनांक 05.12.2022 को परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद खराडी पुत्र श्री मांगीलाल खराडी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम उपला माण्डवा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू उदयपुर पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि श्री हिरालाल मेघवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा उसके राशन डीलर के लाईसेन्स की बहाली के आदेश की प्रति देने की एवज में 2000 रूपयें की रिश्वत राशी की मांग की जा रही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार मांग सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 05.12.2022 को दौरानें मांग सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से 1000 रूपयें रिश्वत ग्रहण कर शेष 1000 रूपये बाद में देने की स्वीकारोक्ति करना सत्यापित पाया जाने पर दिनांक 06.12.2022 को दौराने ट्रेप कार्यावाही आरोपी श्री हिरालाल द्वारा परिवादी से 1000 रूपयें रिश्वत राशी ग्रहण कर स्वयं की पेन्ट की आगे की दायीं जेब में रखने पर आरोपी से रिश्वत राशी बरामद कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी उदयपुर पर लंबित प्रकरण संख्या 05/2020 दायर तिथि 04.02.2020 के अवलोकन पर उक्त पत्रावली सरकार बनाम श्री झामेश्वर मीणा उचित मूल्य की दुकान घोड़ी बी तहसील ऋषभदेव की होना पाई गई। पत्रावली में अंतिम ऑर्डरशीट दिनांक 30.11.2022 को परिवादी श्री झामेश्वर पुत्र मांगीलाल का राशन डीलर लाईसेन्स बहाल किया जाकर इस आशय का आदेश कमांक 665 दिनांक 2.12.2022 को जारी होकर मूल आदेश पत्रावली में संलग्न है। उक्त आदेश की प्रतिलिपि कम संख्या 06 पर परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद को प्रतिलिपि प्रदान की गई है। कार्यालय जिला रसद अधिकारी के आदेश कमांक 885 दिनांक 02.11.2022 द्वारा रसद कार्यालय उदयपुर के कार्यभार का आवंटन किया जाना पाया गया है। जिसमें कम संख्या 01 पर आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के नाम के सम्मुख कार्य विवरण के कॉलम में प्रकरण शाखा जिला रसद कार्यालय द्वितीय (अपील, 6-ए, सकर्तता, कोर्ट केसेज) गैस ऐजेन्सी, पेट्रोल पंप, केमिकल लाईसेन्स चुनाव भण्डार से संबंधित कार्य भार आवंटन किया गया था। आरोपी श्री हिरालाल को आवंटित कार्य के अधीन ही परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद के प्रकरण की पत्रावली लंबित थीं। परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद के राशन डीलर लाईसेन्स के बहाली आदेश की प्रति देने के दायित्व का भार आरोपी श्री हिरालाल मेघवाल पर होना पाया गया है।

इस प्रकार आरोपी श्री हिरालाल द्वारा परिवादी श्री झामेश्वर प्रसाद के राशन डीलर बहाली आदेश की प्रति देने की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में 2000 रूपयें रिश्वत राशी की मांग कर दिनांक 05.12.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 1000 रूपयें तथा दिनांक 06.12.2022 वक्त ट्रेप कार्यवाही 1000 रूपयें अवैध पारितोषण के रूप में ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट के आगे की दांयीं जेब में रखकर कुल 2000 रूपये रिश्वत राशी मांग कर ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, संशोधित पीसी एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री हिरालाल पुत्र श्री केवला जी मेघवाल उम्र 53 वर्ष निवासी राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे, जनरल स्टोर के सामने, शोभागपुरा चौराहा उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आदर्श कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आदर्श कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हीरालाल मेघवाल पुत्र श्री केवला जी मेघवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी-प्रथम, उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 467/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4000-03 दिनांक 07.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

7.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।